

IV 321/2021



सत्यमेव जयते


INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh



e-Stamp

Certificate No. : IN-UP67078667348319T
Certificate Issued Date : 16-Apr-2021 01:24 PM
Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14254504/ LUCKNOW SADAR/ UP-LKN
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1425450421533350934755T
Purchased by : NATIONAL SHAH SAMAJ FOUNDATION INDIA TRUST
Description of Document : Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description : OFFICE ADD HOUSE NO-402 NAND PUR SARAY SHEKH
CHINHAT LUCKNOW
Consideration Price (Rs.) :
First Party : NATIONAL SHAH SAMAJ FOUNDATION INDIA TRUST
Second Party : Not Applicable
Stamp Duty Paid By : NATIONAL SHAH SAMAJ FOUNDATION INDIA TRUST
Stamp Duty Amount(Rs.) : 700
(Seven Hundred only)

16660



-----Please write or type below this line-----



AFTAB ALAM
Advocate High Court
Registrar Office Lucknow

Charanjit Bano

QT 0001723302

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

राष्ट्रीय शाह समाज फाउण्डेशन इण्डिया (ट्रस्ट)
(National Shah Samaj Foundation (Trust))

वार्ड : चिनहट

स्टाम्प शुल्क : रू0 700/-

(जरिये ई-स्टाम्प सार्टिफिकेट नं0

IN-UP67078667348319T

दिनांकित 16.04.2021)

न्यास पत्र /स्मृति पत्र

यह न्यासपत्र /स्मृति पत्र दिनांक 16.04.2021 को स्थान लखनऊ में द्वारा श्रीमती चांदनी बानो पत्नी ताहिर मो0 उर्फ मोहम्मद ताहिर शाह (साई बाबा), निवासिनी-भवन संख्या-21, निकट विकल्प खण्ड, गोमती नगर, चिनहट, लखनऊ, उ0प्र0 (भारत) (आधार नं0 5996-8176-4782, मो0नं0 7007854272, व्यवसाय-समाज सेविका) की संस्थापक है जो कि ट्रस्ट के संस्थापक /अध्यक्ष/ न्यासकर्ता/ व्यवस्थापक ट्रस्टी के नाम से जाने जायेंगे।

हमारी यह हार्दिक अभिलाषा है कि मानव समाज में स्थाई सुख शान्ति संगठन सद्भाव, विश्वास गुणों की स्थापना हेतु एक न्यास की स्थापना की जाए तथा उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समस्त साधनों का संग्रह किया जाए तथा इसके निर्मित प्रारम्भ मुद्रा 10,000/- रुपये (रुपया दस हजार मात्र) केवल संस्थापक ट्रस्टी प्रदान करते हैं जो कि निष्पादनकर्ता आजीवन संस्थापक ट्रस्टी के रूप में कार्यरत रहेंगे।

1. ट्रस्ट का नाम : राष्ट्रीय शाह समाज फाउण्डेशन इण्डिया (ट्रस्ट)
(National Shah Samaj Foundation
(Trust))

2. (1) न्यास का पंजीकृत : भवन संख्या-402, नन्दपुर, सरायशेख,

Chandni Bano

- कार्यालय चिनहट, लखनऊ, ३०१० (भारत)
- (२) न्यास का प्रशासनिक कार्यालय : उपरोक्त
- (३) न्यास शाखा कार्यालय : भवन संख्या-४०२, नन्दपुर, सरायशेख, चिनहट, लखनऊ, ३०१० (भारत)
३. न्यास का कार्यक्षेत्र : न्यास का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत/ विश्व होगा। इसके न्यास /ट्रस्ट शाखा कार्यालय देश/विदेश के अलग-अलग राज्यों तथा शहरों/गाँवों में स्थापित होंगे।
४. न्यास में ट्रस्टी सदस्यों की संख्या : न्यास में ट्रस्टी सदस्य की संख्या कम से कम तीन और अधिक से अधिक पाँच सदस्य होंगे।

५. न्यास का गठन :-

क्र० सं०	सदस्यों का नाम	पिता का नाम व वर्तमान पता	पदनाम	व्यवसाय
१.	श्रीमती चांदनी बानो	पत्नी ताहिर मो० उर्फ मोहम्मद ताहिर शाह (साई बाबा), निवासिनी-भवन संख्या-२१, निकट विकल्प खण्ड, गोमती नगर, चिनहट, लखनऊ, ३०१० (भारत)	अध्यक्ष/ संस्थापक	समाज सेविका

आजीवन न्यासी :-

न्याय के हित में न्यास का संस्थापक/अध्यक्ष समाज के चुनिन्दा व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है, जो न्यास के आजीवन सदस्य कहलायेंगे। यह न्यास के आजीवन सदस्य जीवन पर्यान्त बने रहेंगे। यह न्यासी विधिक रूप से या अन्य कारण से अक्षम होने पर न्यास से सेवानिवृत्त हो सकते हैं। न्यास के आजीवन सदस्यों को न्यास की वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने, भाग लेने व मतदान देने का अधिकार रहेगा तथा न्यास के संचालन में उनका सहयोग रहेगा अतएवं इस न्यास विलेख के निष्पादन के समय निम्नलिखित व्यक्ति न्यास के आजीवन सदस्य रहेंगे:-

Chandni Bano

1. श्रीमती चांदनी बानो पत्नी ताहिर मो० उर्फ मोहम्मद ताहिर शाह (साई बाबा), निवासिनी-भवन संख्या-21, निकट विकल्प खण्ड, गोमती नगर, चिनहट, लखनऊ, उ०प्र० (भारत)

प्रबुद्ध न्यासी:-

मूल संस्थापक/अध्यक्ष न्यास के हित में प्रबुद्ध व्यक्तियों को न्यास में रख सकता है। प्रबुद्ध न्यासी वही व्यक्ति हो सकते है जो अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हैं अथवा न्यास के हित में, समुदाय के हित में तथा राष्ट्र के हित में अपना बहुमूल्य योगदान कर सकते हैं। न्यास इनके सुझावों को यदि उचित समझता है तो उन्हें स्वीकार कर सकता है। अतएव प्रस्तुत ट्रस्ट विलेख निष्पादन के समय निम्न प्रबुद्ध व्यक्तियों को सदस्य के रूप में निर्धारित किया जा रहा है।

उपर्युक्त समस्त न्यासी न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्थापक/अध्यक्ष न्यासकर्ता के साथ मिलकर कार्य करना स्वीकार करते हैं।

6. न्यास के मुख्य उद्देश्य :-

न्यास का लक्ष्य एवं उद्देश्य, पूर्ण रूप से प्राणी मात्र के सर्वांगीण विकास एवं बौद्धिक विकास तथा समृद्धि के लिए होगा। और न्यास की आय से देश-विदेश में किसी प्रकार की अन्य शैक्षिक एवं अन्य संस्थाओं की स्थापना एवं उनका प्रशिक्षण करने में बिना किसी पक्ष-पात के सर्वलोक कल्याणार्थ एवं उसके प्रयासों को सुनिश्चित की जायेगी। इसमें कोई भी ऐसा कार्य सम्मिलित नहीं होगा जिससे किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ अर्जित करना अभिप्रेत हो। संस्था के मुख्य उद्देश्य मानव अधिकार, स्वास्थ्य, कृषि एवं शिक्षा का प्रचार प्रसार देश-विदेश में करना एवं इसके लिए हर संभव प्रयास करना। मानव समाज को समृद्ध संगठित, स्वस्थ बनाने तथा अखंड भारत और ग्रामीण विकास हेतु क्षेत्र में परियोजनाओं के क्रियान्वयन और मूल्यांकन में राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/निजी संस्थाओं एवं राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सहयोग प्राप्त करना एवं कार्य करना। मिशन स्वर्ण भारत 2020 के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु कार्यों परियोजनाओं को संचालित करना। जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों और उद्देश्यों की पूर्ति करना भी सम्मिलित है।

1. समाज में फैली कुरतियों को दूर करने हेतु प्रवचन, सेमिनर व अन्य कार्यक्रम का आयोजन करना।

Chandni Bano

2. धर्म के प्रति फैली हुई भ्रातियों को दूर करना और शुद्ध धर्म का वैज्ञानिक आधार पर प्रचास, प्रसार करना।
3. विपश्यना विद्या का प्रचार प्रसार करना।
4. सेण्टर फॉर पब्लिक अवेयरनेस एण्ड इन्फॉर्मेशन की गतिविधियों को संचालित करना और इसके द्वारा समाज के लोगों को जागरूक करना।
5. मनुष्यों में करुणा, प्रेम और मैत्री का प्रसार करना।
6. कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिये बेटी बचाओ अभियान को आगे बढ़ाना इसके लिये सामाजिक जागरूकता हेतु साहित्य, पुस्तकें, वीडियो केसेट्स, सी0डी0, डी0वी0डी0 आदि का निर्माण एवं वितरण करना। इस हेतु प्रवचन, सेमिनार, अन्य कार्यक्रम आदि का आयोजन करवाना व उसमें सहयोग देना।
7. विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक सहायता करना व उनके जीविको पार्जन के लिये लघु व कुटीर उद्योगों की स्थापना करना। महिलाओं की शिक्षा एवं अधिकार के प्रति जगरूक अभियान चलवाना।
8. ऐसे जरूरतमंद व्यक्तियों जो अक्षम हैं, विकलांग हैं मानसिक व शारीरिक रूप से कमजोर हैं व निर्धन वर्ग के हैं उनके उत्थान व जीविकोपार्जन के लिये आर्थिक सहायता करना एवं उनके जीविकापार्जन के लिये लघु व कुटीर उद्योगों की स्थापना करना।
9. निर्धन छात्र छात्राओं शिक्षा प्राप्त करने के लिये छात्रवृत्ति देना व उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना।
10. समाज के वृद्धजनों की सेवा के कार्य करना।
11. रोग पड़ितों को चिकित्सा सुविधा में मदद करना।
12. मुद्रण प्रकाशन वितरण एवं संचार के माध्यम से देशवासियों में जागृति लाना जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा व स्वास्थ्य (वैकल्पिक चिकित्सा) गरीबी उन्मूलन एवं असहायक की सहायता कार्य करवाना।

Chandni Bhatia

13. उपभोक्ता संरक्षण एवं उपभोक्ता हितों की रक्षार्थ कार्यक्रमों का संचालन उनके सन्दर्भ में कार्यक्रमों का आयोजन एवं प्रकाशन टी0वी0 सीरियल एवं इन्टरनेट समाचार बुलिटन, वेबसीरिज आदि का प्रसारण कराना।
14. भारतीय संस्कृति परिवेश में दरगाह, मजार, कब्रिस्थान, खानकाह, चिल्ले आदि की संरचित सुरक्षित व सौन्दर्यकरण करना।
15. सर्व समाज को दृष्टिगत रखते हुये सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास के साथ सत्य अहिंसा स्थापित करना।
16. राष्ट्रीय प्रेमभाव सहित राष्ट्रीय सामग्री संसाधनों का उपयोग करने हेतु प्रेषित करना।
17. स्वस्थ्य शिक्षा, प्रशिक्षण स्वास्थ्य संवर्धन, चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी का प्रयोग करना एवं समाज को लाभन्वित न्यास/संस्थाओं /संगठनों के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।
18. राज्य/जिला/प्रखंड/पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य केन्द्रो को खोलने तथा उसकी व्यवस्था को सुनुश्चित करना एवं बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता को प्रशिक्षण प्रदान कराना ताकि राज्य/जिला/प्रखंड/पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य केन्द्र एवं परामर्श केन्द्र के संगठन और प्रबंधन के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र मे मानव शक्ति का सर्वांगीण एवं बौद्धिक तथा समृद्धि का विकास हो सके।
19. राज्य/जिला एवं देश स्तर पर मेडिकल कॉलेज, डेन्टल कॉलेज पारा मेडिकल, एलायड मेडिकल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना स्वयं करना और स्थापना में संस्थाओं से सहयोग प्राप्त कर आर्थिक एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध करना एवं विकास हेतु अन्वेषण एवं शोध कार्य करना।
20. ग्रामवासियों को रोग मुक्त जीवन यापन के लिए प्रोत्साहित करना और स्वास्थ्य जागरूता शिविर एवं अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों को आयोजित करना एवं स्वस्थ समाज की स्थापना करना।
21. आयुर्वेद, होमियोपैथी, एलोपैथ, योग, ध्यान और यूनानी चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं विद्यालयों/महाविद्यालयों/

Chuneli Baina

ट्रस्ट/समिति आदि से सम्बद्धता प्राप्त करना और इसके द्वारा मानव विकास हेतु कार्यक्रम सुनिश्चित एवं क्रियावित करना तथा प्रशिक्षण कार्य कराना।

22. विश्व स्वास्थ्य संगठन, एसियन डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक, निजी सार्वजनिक एवं अन्य संगठनों के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना।
23. जन संख्या नियंत्रण, मलेरिया नियंत्रण, पोलियो, एड्स, कुष्ठ एवं टी0बी0 उन्मूलन में सरकार/संस्थाओं को कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना।
24. जड़ी बूटी वनोषधि आदि औषधि तैयार करना एवं कराना, उसके निर्माण के लिए प्रशिक्षण देना, पेटेन्ट कराना, संग्रहन करना, पैकेजिंग करना एवं कराना और विपणन की व्यवस्था करना एवं देश-विदेश में निर्यात करना।
25. कुपोषण महामारी से आम जनता को राहत पहुँचाना, विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना।
26. जकात, फितरा जमा करके उसके योग्य व्यक्तियों पर खर्च करना।
27. शिक्षा विकास पर सेमिनार/कार्यशाला/सभा आयोजित करना। कार्यवाही के अनुरूप शिक्षा अनिवार्य रूप से लागू करवाना।
28. प्रत्येक गांव पंचायत, प्रखंड, जिला स्तर, राज्य स्तर एवं राष्ट्र स्तर पर बौद्धिक विकास केन्द्र की स्थापना स्वयं करने की योजनाओं को निश्चित करवाना।
29. शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना एवं उनके नियोजन के लिए अवसर सृजन करना, नियोजन करना।
30. पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम को जन-जन तक पहुँचाना एवं महत्वपूर्ण योगदान देना पर्यावरण प्रशिक्षण केन्द्र पर्यावरण विकास एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना हेतु शिक्षण केन्द्र को प्रोत्साहित करना।

Sheela Bains

31. मानव संसाधन विकास एवं संबर्द्धन हेतु मानव शक्ति विकास प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना एवं संचालन करना, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षण संस्थान की स्थापना स्वयं करना और इसे कार्यान्वित करना।
32. शैक्षणिक संस्थानों तकनीकी और प्रबंधन संस्थानों विश्वविद्यालयों/ परिषद से मान्यता एवं संबद्धता प्राप्त करना और प्रशिक्षण/शिक्षण आरंभ करना एवं अन्य संस्थाओं को स्थापना में सहयोग करना और प्रमाण-पत्र/ डिप्लोमा/डिग्री प्रदान कराना।
33. शिक्षा के लिए आवश्यकता के अनुरूप अन्वेषित एवं प्रयोगात्मक पुस्तिका एवं पत्रिका का मुद्रण एवं प्रकाशन करना तथा शिक्षा प्रचार-प्रसार हेतु टेली फिल्म/वृत्त चित्र का निर्माण कार्य करना।
34. राष्ट्रीय महत्व के पुरातन धरोहर के संरक्षण में लोगों को शिक्षित करना एवं उनके जिर्णोद्धार का कार्य करना, संचालित करना और ऐतिहासिक महत्व के भवनों को जिर्णोद्धार करना एवं राष्ट्रीय/ अन्तराष्ट्रीय पर्यटको को आकर्षित करने हेतु, रमणीक पर्यटन स्थल विकसित करने हेतु होटल रेस्टोरेन्ट रिसोर्ट का निर्माण करना कृत्रिम जलाशय झील का निर्माण करना और नौका विहार को प्रोत्साहित करना एवं पर्यटन के क्षेत्र में और होटल प्रबंधन के क्षेत्र में शिक्षा कार्यक्रम संचालित करना।
35. स्वतंत्र भारत के संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकार के संबंध में जानकारी प्रदान कराना और मानवीय मूल्यों के गरिमा की स्थापना सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु कार्यक्रम सुनिश्चित एवं क्रियान्वित करना।
36. मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में शिक्षण कार्यक्रम संचालित करना और मानवाधिकार/सामाजिक अधिकार हनन की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्यक्रम सुनिश्चित एवं क्रियान्वित करना।
37. उपेक्षित ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क विद्यालयों की स्थापना करना और आवश्यक कार्य हेतु योजनाओं को सुनिश्चित कराना।

Chunelw/Bans

38. कृषि के क्षेत्र में अन्वेषित/नवीन प्रौद्योगिकी/बायोटेक्नालॉजी की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र में कराना और किसानों को उन्नत कृषि में प्रशिक्षण प्रदान कर कृषि क्षेत्र में शिक्षित एवं समृद्ध बनाना।
39. जल छलन, अति सूक्ष्म जल छालन एवं भूमि संरक्षण, बंजर भूमि विकास कृषि और वृक्षारोपन कार्यक्रम के क्रियान्वयन करना।
40. प्राकृतिक श्रोत जैसे झील, नदी, बांध तालाब के जीर्णोद्धार का कार्य करना और जल संकट से बचने हेतु जल स्तर को ऊँचा उठाने के लिए अन्वेषण, शोध एवं प्रयोगात्मक कार्यक्रम क्रियान्वित करना।
41. हफतेवारी, पन्द्रहवारा, महाना तथा वार्षिक डाइजेस्ट तथा किताबों का पब्लिकेशन करना।
42. किसानों को उन्नत कोटि का बीज एवं खाद उपलब्ध कराने की परियोजना सुनिश्चित करना, नवीन विकसित यंत्र उपलब्ध कराना औषधी पौध की खेती हेतु प्रशिक्षित करना, उत्पादित वस्तुओं के विपणन भंडारण और सुरक्षा हेतु बिक्री केन्द्र, शीतगृह और भंडार गृह की व्यवस्था एवं निर्माण कार्य करना एवं किसानों के फसल के लिए बीमा योजना आरंभ करवाना, संग्रह गृह का निर्माण करवाना।
43. किसानों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वयंसेवी संगठनों के लिए बैंक में कार्य करने वाली स्वयंसेवी संगठनों और किसानों के विकास के कार्य करना और उनके हितों के लिए कल्याण कार्यक्रम संचालित करना व वृद्ध किसानों के लिए वृद्धाश्रम का निर्माण एवं संचालन करना और कृषकों के स्वास्थ्य संवर्द्धन हेतु आकस्मिक चलंत चिकित्सा केन्द्र की स्थापना करना।
44. कृषि एवं बागवानी विकास पर सेमिनार/कार्यशाला गोष्ठी/बैठक का आयोजन करना और अनुभव का आदान-प्रदान, पंचायत स्तर/प्रखंड स्तर/ जिला स्तर/ राज्य स्तर पर कृषि विकास केन्द्र की स्थापना करना, शोध एवं अनुसंधान कार्य कराना।
45. कृषकों के विकास हेतु देश के सभी क्षेत्रों में कृषक पंचायत के माध्यम से सरकारी सुविधा उपलब्ध करने हेतु कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना, कृषकों को जैविक खेती हेतु प्रोत्साहित करना,

Chandhi Rana

प्रशिक्षित करना और उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का संग्रहण करना, विपणन करना एवं कृषकों का स्वास्थ्य बीमा आदि की व्यवस्था करना।

46. सौर उर्जा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र को सौर उर्जा ग्राम के रूप में विकसित करना, सोलर पार्क विकसित करना।
47. पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु कार्यक्रम सुनिश्चित करना एवं निर्वाचन जन प्रतिनिधियों को ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करना और परियोजना निर्माण में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना और जन प्रतिनिधियों से ग्रामीण विकास कार्यक्रम संचालित करना।
48. देश में विशेषकर उ०प्र०, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड एवं अन्य राज्यों की सामाजिक समस्या का अध्ययन एवं निराकरण का उपाय ढूँढना तथा राज्यों में दलितों एवं कमजोर वर्गों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के उपाय करना।
49. लिंग, जाति या धर्म के मामले में भेद-भाव को दूर करने का प्रयास करना। लोगों में मानवीय गुणों को विकसित करने की स्वतंत्रता का बढावा देना। अन्याय से छुटकारा और कानूनी सुविधा प्रदान कराना एवं इस दिशा पर कार्य करना।
50. आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार की प्राप्ति हेतु कारगर प्रयास करना। भूमि सुधार की समस्या और निदान के उपाय को सुनिश्चित एवं क्रियावित करना। स्वरोजगार के नये क्षेत्रों का सृजन करते हुए गरीबी को खत्म करने की दिशा में कार्य करना।
51. देश और उ०प्र०, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड एवं अन्य राज्यों में कानून एवं न्याय, व्यवस्था के उपाय ढूँढना एवं इसे क्रियावित करने का प्रयास करना।
52. बेरोजगारी और गरीबी के कारण बढ़ती जा रही निराशा, अपराध एवं स्वार्थपरता मिटाने के उपाय करना तथा गरीबी और अमीरी तथा किसानों और गैर-किसानों के बीच जीवन दशा में अंतर की खाई को दूर करने के उपाय करना एवं निराकरण करना।

Shanghi Bano

53. शिक्षा-प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थिति एवं उसके कठिनाईयों के लिए संभावित कार्यक्रम एवं योजनाएँ बनाए जाने पर बल देना।
54. अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के कारण खोई आत्मनिर्भरता लौटाने के उपाय सोचना।
55. महिलाओं, बच्चे, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों एवं दलित पर हो रहे अत्याचार से उत्पन्न स्थिति का विश्लेषण कर निदान ढूँढना, स्वच्छ एवं संतुलित समाज के निर्माण में योगदान देना तथा उनके सर्वांगीण विकास, समाजिक, आर्थिक उत्थान हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना एवं मातृत्व तथा बच्चे को समाजिक सुरक्षा का अधिकार दिलाना।
56. तिलक, दहेज जैसी सामाजिक समस्याओं को समाजिक स्तर पर ही निबटाने का वातावरण तैयार करना महिला और कमजोर महिला को जुल्म से छुटकारा दिलाना। स्वयंसेवी जत्था सृजित करना, दहेज प्रथा के विरुद्ध प्रचार अभियान चलाना एवं दहेज विरोधी कानून के कार्यान्वयन के लिए प्रभावकारी जन-सहयोग एवं प्रशासनतंत्र के गठन के लिए अभियान चलाना।
57. निम्न मध्यवर्गीय लोगों की समस्या का विशेष रूप से संकलन एवं निराकरण के उपाय का विश्लेषण करना एवं शिक्षित बेरोजगारी की समस्या और स्वरूप का अध्ययन एवं निदान का उपाय निकालना।
58. कृषि मजदूर, औद्योगिक मजदूर, ईंट भट्टा काटनेवाला, पत्थर तोड़ने वाला, बीड़ी, दर्जी दुकानदार, मछुआरा एवं अन्य असंगठित मजदूरों की समस्याओं का अध्ययन एवं इन सभी वर्गों के मजदूर को न्याय एवं उत्थान के लिए प्रयास करना।
59. युवकों एवं छात्रों की समस्या, छात्रों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराने सम्बन्धी प्रयत्न के अतिरिक्त समाज के पिछड़े वर्गों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग दलित वर्ग, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की उच्च शिक्षा में व्यापक प्रवेश के लिए प्रयास करना।
60. अन्य पिछड़े वर्गों में मध्यवर्ती पिछड़ा वर्ग के बीच वर्गीकरण सुनिश्चित कराना और उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार केन्द्रीय

Shankar Ramo

सेवा में आरक्षण सुनिश्चित कराके अत्यन्त पिछड़े वर्गों के स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयास करना।

61. न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न विषयों के शोध, शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना कराना।
62. कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराना एवं समाज की विभिन्न समस्याओं से सम्बन्धित तथ्यों और आकड़ों का संकलन करना और सामाजिक घटना के सम्बन्ध में तथ्यपूर्ण जानकारी से सदस्यों एवं समाज को अवगत कराना।
63. न्यास द्वारा केन्द्र और राज्य सरकार की आर्थिक और सामाजिक नीतियों का अध्ययन विशेषज्ञों द्वारा करवा कर उन पर विशेषज्ञों की टिप्पणी आमंत्रित करना और उन विषयों पर प्रखण्ड जिला एवं राज्य स्तर पर गोष्ठियाँ आयोजित करना।
64. देश और उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल बिहार, झारखण्ड एवं अन्य राज्यों के जेलों में बंद पड़े विचाराधीन कैदियों को जेल मैनुअल के अन्तर्गत उचित न्याय दिलाने का प्रयास करना तथा ऐसे बंदी को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें कानूनी सहायता पहुँचाना।
65. महिला कैदियों की दयनीय हालत में सुधार लाना और उनको उचित न्याय दिलाने के संबन्ध में एक राष्ट्रीय नीति बनाने की आवश्यकता पर बल देना तथा विभिन्न जेलों में बंद महिलाओं को चिन्ताजनक स्थिति से मुक्ति दिलाना, शिवरों की तरह ही नारी बंदीगृह अदालत बनाए जाने पर बल देना हिरासत में रहने वाली महिलाओं को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए चलंत न्यायिक हिरासत में रहने वाली महिलाओं को विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारतीय दंड संहिता, कारावास अधिनियम और पुलिस अधिनियम में संशोधन की आवाज उठाना।
66. न्यायहीन कैदियों व व्यक्तियों असुविधाहीन कैदियों व उसके परिवार को विशेष अधिकार दिलाने का कार्य करना, चिकित्सा की व्यवस्था करना एवं न्यायालय से न्याय कराने हेतु अपील करना।
67. वधियों एवं विकलांगों को संगठित कर उन पर हो रहे अनदेखी को ध्यान में रखकर उनके उत्थान के लिए कारगर कदम उठाना।

Chander Raw

68. बच्चों को अच्छे शिक्षण प्रणाली एवं उस पर आये दिन हो रहे जुल्म के लिए आवाज उठाना एवं उनके लिए कारगर कदम उठाना। बाल मजदूरी को खत्म करने का प्रयास करना।
69. ट्रस्ट की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट के पक्ष में अथवा ट्रस्ट द्वारा सम्पत्ति का अन्तरण संस्थापक/अध्यक्ष द्वारा करना।
70. शिक्षा को जन-जन तक पहुँचाने हेतु स्कूल, कालेज महाविद्यालय, पुस्तकालय, छात्रावास, मस्जिद, मदरसा, मकतब, हास्पिटल, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, दारुलयतामा का कयाम और यतीम और गरीब बच्चों और बच्चियों को उच्च शिक्षा प्रदान कराना व रोजगार परक योजनाएं चलाना देना व उनकी शादी में मदद करना व देश के कमजोर व बेगुनाह कैदियों की आजादी हेतु अदालती पैरवी करना व उनके लिए योग्य अधिवक्ताओं का पैरवी के लिए चयन करना व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, दीनी व सामाजिक जलसा का आयोजन को आयोजित करना तथा इस प्रकार की गतिविधियों को प्रोत्साहित करना तथा इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कोष की स्थापना करना, दान लेना व अनुदान प्राप्त करना।
71. छात्रों को शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए छात्रवृत्ति मानदेय पुरस्कार आदि का प्रबन्ध करना व स्कूल कालेज व संस्थान में प्रशिक्षण, शोध व सेमीनार आदि आयोजित करना व विदेश में शिक्षा प्राप्ति हेतु सहयोग प्रदान करना तथा इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कोष की स्थापना करना, दान लेना व अनुदान प्राप्त करना।
72. शिक्षा के क्षेत्र में की जाने वाली गतिविधियों के लिए राज्य व केन्द्र सरकार से अनुदान प्राप्त करना तथा दानशील व्यक्तियों की संस्थाओं व संस्थानों से वित्तीय सहायता लेना।
73. भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का संवर्धन करना। पर्यावरण सम्बन्धी समस्त प्रकार के कार्य करना व सरकारी योजनाओं के क्रियाकलापों में सहयोग करना।
74. गरीबों को जाड़े के दिनों में वस्त्र आदि वितरण करना।

Chandni Bano

75. सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा जनमानस को पारम्परिक कला से परिचय कराना।
76. गरीबों को भोजन कराना, भण्डारा करना तथा गर्मियों में पौशला आदि की व्यवस्था करना।
77. यह कि उपरोक्त प्रकार के कार्यों को सम्पादन करने वाली संस्थाओं से सहयोग लेना।
78. अन्य कोई कार्य जो समाज व राष्ट्रहित में हों।
79. यह कि उपरोक्त ट्रस्ट द्वारा दीनी व सामाजिक अखबार, मैगज़ीन, साप्ताहिक, माहवारी, वार्षिक का प्रकाशन कराना व वितरण करना। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक्स के प्रचार प्रसार एवं मीडिया के शैक्षणिक केन्द्रों की स्थापना कार्य भी करेगा।
80. यह कि उपरोक्त ट्रस्ट द्वारा लावारिस लाशों के कफन व दफन का इन्तेजाम करना।
81. यह कि उपरोक्त ट्रस्ट द्वारा सुन्नी वक्फ सम्पत्तियों को नाजायज कब्जों से छुड़ाना व उन सम्पत्तियों का कौमी इस्तेमाल के लिए प्रयास करना।
82. यह कि उपरोक्त ट्रस्ट द्वारा मुस्लिम कब्रिस्तान की देख रेख व हिफाजत का प्रयास करना।
83. यह कि पशुपालन जैसे बकरी, भैंस, गाय, तथा इमू पक्षियों को पालना तथा विकास सम्बन्धित कार्य करना तथा पशु-पक्षियों पर हो रहे अत्याचारों को रोकना।
84. यह कि ट्रस्ट भवन निर्माण, बिल्डर्स, टाउन प्लानर, रियल स्टेट डेवलपर्स आदि का कार्य एवं सरकारी एवं प्राइवेट सिविल कान्ट्रेक्टर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाय आदि संचालित कर धर्नाजन करते हुये चेरटी योग्य निःस्वार्थ भाग से ग्रामीण विकास, बेरोजगारी उन्मूलन एवं स्वच्छता आदि का कार्य करेगा साथ-साथ इन्टीरियर डेकोरेटर एवं फैशन डिजाइन के क्षेत्र में भी अपना योगदान सुनिश्चित करेगी।

Chunehi Band

85. यह कि जल संचय एवं पर्यावरण से सम्बन्धित सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी प्राईवेट कार्यों का समस्त प्रकार से विधि अनुसार संचालन करना। पेजल जागरण शिविर स्वजल धारा, जलनिधि के कार्यक्रमों का आयोजन, रेन वाटर हारवेस्टिंग, वाटर शेड डेवलपमेंट, हैण्ड पम्पों की अवस्थापना तथा प्राकृतिक जल का संचय करना।
86. अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिये भारत के विभिन्न मंत्रालयों से संचालित कार्यक्रमों का संचालन करना, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आ सके।
87. असहाय वृद्धों के कल्याणार्थ डे-केयर सेन्टर, ओलड ऐज होम, विकलांगों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा पुर्नवास कार्यक्रम, स्वाधारा योजना के अन्तर्गत परित्यक्त महिलाओं को पुनर्वासित कर समाज की मुख्यधारा में जोड़ना तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, आदिवासियों के लिए तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, झुग्गी झोपड़ी तथा फुटपाथों पर जीवन यापन करने वाले बच्चों लिए शिक्षा, प्रशिक्षण कार्यक्रम, परिवार परामर्श केन्द्र एवं बाल श्रमिकों के लिए विद्यालय तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, परामर्श केन्द्र, गोष्ठी, सेमिनार का आयोजन करना।
88. ट्रस्ट (न्यास) के कार्यक्षेत्र में केन्द्रीय, राज्य स्तरीय एवं विदेशी संस्थाओं द्वारा संचालित योजनाओं एवं व्यवसायिक प्रशिक्षणों का संचालन करना। कपार्ट, नाबार्ड, सूडा, डूडा, सिफसा, नेहरू रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, डी0आ0डी0 तथा अन्य सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर अनुदान/ऋण प्राप्त कर जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना।
89. राष्ट्रीय हित एवं विकास हेतु जन सामान्य के लिए विभिन्न कार्यक्रमों (नरेगा, स्वास्थ्य मिशन, कृषि विकास, सूचना अधिनियम, खाद्य सुरक्षा) आदि के समुचित क्रियान्वयन, संचालन एवं हिताग्राही लोगों तक उक्त कार्यक्रमों का समुचित लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार के फोरम, संगठन एवं समितियों का गठन कर उपरोक्त कार्यक्रमों को सर्वार्थित किया जायेगा।

Shuntri Baner

90. यह कि मदरसा यतीम खाना आदि बनाना तथा उसका संचालन करना।
91. यह कि उ0प्र0 सरकार से यतीमखाना, आश्रयहीन बेवा व बूढ़ी औरतों के रहने के लिये, अपाहिज महिलाओं के लिये भूमि व भवन आवंटन करना तथा सरकारी योजना में उपरोक्त व्यक्तियों व महिलाओं के लिये धनराशि का आवंटन करना।
92. यह कि पुस्तकालय व वाचनालय, व्यायामशाला व क्लब आदि का संचालन करना।
93. यह कि विधवाओं, निराश्रितों, विकलागों के सामाजिक विकास के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन करना।
94. यह कि नशा उन्मूलन सम्बन्धित योजनाओं को प्रसारित एवं प्रचारित करना तथा नशे में उत्पन्न बुराईयों के बारे में समाज में समस्त प्रकार के कार्यक्रम करवाना।
95. यह कि भारत सरकार की किसी भी प्रकार की योजनाओं से अनुदान प्राप्त करना तथा सरकारी, अर्द्ध सरकारी, प्राइवेट तथा अन्य योजनाओं का विधिनुसार संचालन करना।

Chandni Bano



(श्रीमती चांदनी बानो)
सस्थापक/अध्यक्ष/प्रबन्धक निदेशक
मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी

राष्ट्रीय शाह समाज फाउण्डेशन इण्डिया (ट्रस्ट)
(National Shah Samaj Foundation (Trust))

नियमावली

1. परिभाषाएँ :
 - (क) न्यास का नाम : **राष्ट्रीय शाह समाज फाउण्डेशन इण्डिया (ट्रस्ट)**
(National Shah Samaj Foundation (Trust))
 - (ख) न्यास का प्रधान ट्रस्टी : संस्थापक अध्यक्ष/न्यास मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी होगा।
 - (ग) पदाधिकारी/न्यासट्रस्टी : उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष एवं न्यास के ट्रस्टी न्यास के पदाधिकारी होंगे।
 - (घ) प्रबंध समिति : भविष्य में प्रबन्ध समिति में कुल सात सदस्य होंगे जिनमें जिनमें संस्थापक/अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष तथा तीन अन्य सदस्य होंगे इनकी अध्यक्षता संस्थापक/अध्यक्ष न्यास करेंगे एवं संस्थापक/अध्यक्ष की अनुपस्थिति पर इसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष न्यास करेंगे।
 - (च) वित्तीय वर्ष : 1 अप्रैल से 31 मार्च तक।
 - (छ) एक्ट : ट्रस्ट एक्ट 1882 संशोधित एक्ट के अन्तर्गत।
2. सदस्यता : ट्रस्ट की संस्थागत/साधारण सदस्यता के लिए विहित आवेदन प्रपत्र में संगठन के नाम से आवश्यक सदस्यता शुल्क के साथ जमा कराना अनिवार्य होगा। सदस्यता प्रदान करने के लिए संस्थापक/अध्यक्ष के अधीन प्रबन्ध समिति की अनुमति/स्वीकृति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर, किया जा सकेगा। सदस्य निम्नलिखित होंगे।
 1. संस्थागत सदस्य- कोई भी संस्था जो न्यास के उद्देश्य के लिए गठित की गई है वे संस्थापक अध्यक्ष के अधीन प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित रकम अदा कर न्यास के संस्थागत सदस्य बन सकते हैं।
 2. सदस्य- कोई भी व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होगी और सदस्यता प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित रकम अदा कर वे न्यास के सदस्य हो सकते हैं।
3. सदस्यता की समाप्ति/विमुक्ति :
 1. स्वयं त्यागपत्र देने पर
 2. सदस्य के पागल होने पर

Shah Samaj

4. संस्थापक/अध्यक्ष
न्यासी मुख्य कार्यकारी
पदाधिकारी के
अधिकार एवं कर्तव्य

3. न्यास के उद्देश्य के विपरीत कार्य करने पर
4. न्यास के नियमों और विनियमों के उल्लंघन करने पर एवं विपरीत आचरण पर
5. प्रधान ट्रस्टी/प्रबन्ध समिति द्वारा निष्काषित करने पर

1. न्यास का मुख्य ट्रस्टी ही उसका स्थाई अध्यक्ष होगा मुख्य ट्रस्टी ही ट्रस्ट की बैठकों की अध्यक्षता करेगा बैठकों में बराबर मत आने पर निर्णायक मत आने पर मत देगा। बैठक आहूत करेगा। ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करना। ट्रस्ट के समस्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना। ट्रस्ट के आर्थिक व चल व अचल सम्पत्ति के लेन देन पर हस्ताक्षर करना। मुख्य ट्रस्टी अधिकृत व्यक्तियों को उस कार्य से हटा सकेगा।
2. मुख्य ट्रस्टी व दो से अधिक ट्रस्टियों को किसी प्रकार का कार्य करने के लिये अधिकृत कर सकता है। अधिकृत किया हुआ व्यक्ति मुख्य ट्रस्टी के दिशा निर्देशों पर कार्य करेगा। यह कार्य ट्रस्ट की ओर से किया हुआ माना जायेगा।
3. ट्रस्ट के कार्यालय के संचालन हेतु मुख्य ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है एवं हटा सकता है। इसी प्रकार ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति पर नियंत्रण व उसके संचालन के लिये मुख्य ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
4. न्यास के उद्देश्य और नियमावली एवं स्मृति पत्र में आवश्यकतानुसार प्रबन्धन समिति की स्वीकृति से संसोधन समय- समय पर करना।
5. न्यास के प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन और प्रबंध समिति गठित करना।
6. संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी को अतिरिक्त सदस्यों को प्रबंध समिति में मनोनित करने का अधिकार होगा।
7. संस्थापक/अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी न्यास के सर्वोच्च पदाधिकारी होंगे।
8. संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी

Charli Dune

के स्वास्थ्य के कारण स्वयं त्याग पत्र देने पर, पागल होने पर, लकवी से ग्रसित रहने पर, भारत की नागरिकता को छोड़ने पर एवं अन्य बात होने पर जो भारत सरकार के नियम के अनुसार मान्य हो। न्यास का विघटन नहीं होगा अपितु प्रबन्ध समिति की स्वीकृति पर किसी अन्य व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त कर दिया जायेगा।

9. न्यास का विघटन न्यास ट्रस्टी/प्रबंध समिति के सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने पर नहीं हो सकेगा।
10. न्यास की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सुझाव देना एवं योजना समितियों/प्रबंध समिति के समक्ष स्थापित करना तथा न्यास के विकास हेतु देश-विदेश में प्रतिनिधित्व करना एवं आवश्यक निर्देश देकर न्यास के पदाधिकारी से करवाना।
11. आवश्यक कार्य हेतु प्रबंध समिति के संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी को बिना प्रबंध समिति को पूर्व सूचना के पचास हजार रुपया तक का खर्च करने का अधिकार प्राप्त है।
12. न्यास के सभी चल-अचल संपत्तियों की सुरक्षा एवं सुचारु प्रबंध के लिए उत्तरदायी रहना।

5. उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य : वर्तमान समय में मुख्य ट्रस्टी ही संस्थापक सदस्य है तथा भविष्य उसके द्वारा उपाध्यक्ष की नियुक्त की जायेगी तथा मुख्य ट्रस्टी द्वारा उन सभी के अधिकारों का उल्लेख किया जायेगा।

6. महासचिव के अधिकार व कर्तव्य : वर्तमान समय में मुख्य ट्रस्टी ही संस्थापक सदस्य है तथा भविष्य उसके द्वारा महासचिव की नियुक्त की जायेगी तथा मुख्य ट्रस्टी द्वारा निम्नलिखित कार्य मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से सम्बन्धित किये जायेंगे।

1. ट्रस्ट की ओर से पत्र सम्बन्धी सभी कार्य करना।
2. ट्रस्ट के सभी खातों (अभिलेखों) को सुरक्षित रखना।
3. सदस्यों को मीटिंग की सूचना देना।
4. रजिस्ट्रों में सभी सदस्यों के नाम चढ़ाना।
5. ट्रस्ट की उन्नति हेतु सभी अन्य विधिक कार्यवाही करना।

Shamshir Bano

6. मीटिंगों में शान्ति बनाये रखना।
 7. ट्रस्ट की ओर से सभी विधिक कार्यवाही करना।
 8. प्रबन्ध समिति के सभी नियमों को लागू करना।
 9. स्वीकृति बजट के तमाम खर्चों का उपलब्ध कराना।
-
7. कोषाध्यक्ष के कर्तव्य : वर्तमान समय में मुख्य ट्रस्टी ही संस्थापक सदस्य है तथा भविष्य उसके द्वारा कोषाध्यक्ष की नियुक्त की जायेगी तथा मुख्य ट्रस्टी द्वारा उन सभी के अधिकारों का उल्लेख किया जायेगा।
 8. प्रबंध समिति का निर्वाचन : प्रबंध समिति का कार्यकाल प्रत्येक पाँच वर्षों पर होगा। प्रबंध समिति का गठन संस्थापक न्यासी के निर्देशानुसार होगा। तीन सदस्य संस्थापक सदस्य से जो न्यास-पत्र में उल्लेखित है एवं शेष चार निर्वाचित सदस्यों में से होंगे।
 9. न्यास का प्रबंधन : विशेष परिस्थिति में प्रबंध समिति से किसी रिक्ती को भरने का अधिकार संस्थापक/अध्यक्ष को होगा।
 10. न्यास की आय के स्रोत एवं उद्देश्य की पूर्ति हेतु न्यासी के अधिकार : दान, चंदा, अनुदान, ऋण, सदस्यता शुल्क, सहयोग राशि, धन, संपत्ति, व्यक्ति विशेष, संस्थान स्वैच्छिक संगठन, न्यास और सरकार से चल/अचल सम्पत्ति प्राप्त करना और जनहित में कार्यहित कार्यक्रम संचालित करना।
 11. प्रबंध समिति के अधिकार न्यास के संबन्ध में :
 1. समय-समय पर न्यास की कोष/निधि का उपयोग न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु करना।
 2. न्यास के संपत्ति में वृद्धि करने का उपाय करना और न्यास के निधि की वृद्धि के हेतु न्यास की निधि का उपयोग शेयर, स्टॉक एवं अन्य जमा पूंजी में निवेश करना या राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर, एच0डी0एफ0सी0/यू0टी0आई0, ए0बी0एन0 एमरो, आई0सी0आई0सी0आई0/इंग वैश्य मल्टीनेशनल बैंक में खाता खोलकर जमा करना।
 3. न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राजीव गांधी फाउंडेशन, राष्ट्रीयकृत बैंक, नाबार्ड, विश्व बैंक या एसियन डेवलपमेंट बैंक, अन्तराष्ट्रीय/ राष्ट्रीय संगठनों, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को या अन्य प्राईवेट एवं पब्लिक संगठनों से दान, अनुदान एवं ऋण प्राप्त

Shamhi Bains

करना।

4. न्यास के कोष/निधि का उपयोग अस्पताल, मेडिकल कालेज, पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट, प्रबंधन एवं तकनीकी संस्थान, व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, तकनीकी, प्रशिक्षण केन्द्र, विद्यालय एवं कालेज की स्थापना में करना।
5. न्यास के कोष/निधि से अर्जित चल/अचल सम्पत्ति किराये/लीज/पट्टे पर देना।
6. न्यास के नाम से बचत/चालू/अवार्ती जमा/ अनवर्ती जमा खाता खोलना और न्यास का कोष संचित करना और खाता का संचलान संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी सह मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी या उनके द्वारा अधीकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से करना और समय-समय पर संसोधन कर बैंक/ डाकघर को सूचित करना।
7. न्यास का प्रतिनिधित्व करने हेतु प्रतिनिधि/ परामर्शदाता नियमित करना/अधिकृत करना।
8. न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु पूर्ण कालिन/ अंशकालीन वैतानिक/अवैतनिक व्यक्तियों अधिकारियों की नियुक्ति/लापरवाही के लिए दंडित करना और नियुक्ति रद्द करना।
9. किसी अन्य न्यास/ट्रस्ट /संगठन/संस्थान से संबद्ध होना, सबद्ध करना और उद्देश्य की पूर्ति करना।
10. न्यास के संपत्ति, कोष/निधि सामान्य उद्देश्य वाले संस्थान/स्वैच्छिक, संगठन, न्यास/ट्रस्ट को देना।
11. न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार राज्य/ जिला/ प्रखंड/ पंचायत शाखा समिति गठित करना और उद्देश के अनुरूप कार्यक्रम संचालित करना और राज्य/केन्द्र सरकार को कार्यक्रम संचालन में सहयोग प्राप्त करना।
12. प्रबंध समिति न्यास के कार्यों को संपादित एवं सूचारु रूप से चलाने में समय-समय पर अलग-अलग समितियों या एक समिति गठित करने का अधिकार प्राप्त होगा।

Chandhi Bans

13. न्यास के आय-व्यय का लेखा-जोखा रखना और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आय-व्यय लेख का अंकेक्षण।
14. अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति करना।
15. न्यास की ओर से सभी तरह का पत्राचार करना।
16. न्यास के कार्यों की समीक्षा करना।
17. न्यासी एवं प्रबंध समिति की बैठक के लिए सूचना देना।
18. न्यास के लिए अतिरिक्त संसाधन सृजित करना।
19. न्यास के सभी कार्य उनके प्रशासनिक निर्णय के अंतर्गत ही किया जायेगा।
20. न्यास के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी की हैसियत से संस्था के दैनिक प्रशासन से संबंधित सभी लेख पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए सर्वोच्च पदाधिकारी होंगे तथा सभी मामलों में एक सर्वत्र अधिकार के अधीन रहकर संस्था का प्रतिनिधत्व करेंगे।
21. न्यास के सभी अभिलेख को सुरक्षित रखना एवं हस्ताक्षर करना।
22. न्यास की सभी बैठकों का आयोजन करना तथा उपाध्यक्ष के परामर्श से बैठकों के लिए एजेन्डा/कार्यक्रम बनाना।
23. न्यास के समस्त आय-व्यय का लेखा तैयार करना तथा उनका अंकेक्षण करना, वार्षिक बजट प्रस्तुत करना।
24. बैठक में पारित किये गये प्रस्तावों के अनुरूप कार्य संपादित करना/अनुपालन करना।
25. न्यास के कार्यक्रमों, कार्यों के निष्पादन हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति करना या कार्य मुक्त करना।
26. राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय राज्य/जिला शाखा के कार्यों का पर्यवेक्षण करना।
27. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए आप सभी की स्वीकृति प्राप्त करना तथा उसकी पूर्ति हेतु सभी तरह के आवश्यक

Chandni Bano

कार्य करना।

28. समान उद्देश्यों की ट्रस्ट, स्वैच्छिक संगठन के साथ सहयोग करने का निर्णय लेना, संबद्धता प्राप्त करना तथा उसकी पूर्ति हेतु सभी तरह के आवश्यक कार्य करना।
29. राष्ट्रीय शाखा/राज्य शाखा/ जिला/प्रखण्ड/ पंचायत शाखा हेतु व्यय के लिए धन राशि का ब्यौरा तैयार करना।
30. प्रबंध समिति के प्रत्येक कार्यवाही का निर्णय न्यास के नियमानुसार करेगी।
31. किसी सदस्य जिनका चरित्र उद्देश्यों को कुठारघात पहुँचाता हो उसे सदस्यता से वंचित करना/विमुक्त करना।
32. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जो भी आवश्यक एवं हितकर हो उसे करगी।

12. प्रबंध समिति की बैठक

1. साधारण बैठक के लिए कम से कम पन्द्रह दिन असाधारण बैठक के लिए तीन दिन और आपतकालीन बैठक के लिए एक दिन की पूर्व सूचना दिया जाना आवश्यक होगा।
2. प्रबंध समिति की बैठक प्रत्येक तीन महीने में एक बार होगी तथा आवश्यकतानुसार भी बैठक बुलाई जाएगी।
3. प्रबंध समिति में कुल सात पदाधिकारियों में से 2/3 पदाधिकारियों की उपस्थिति को कोरम माना जाएगा।
4. स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु प्रथम सूचना के बाहर के किसी विषय पर विचार नहीं हो सकेगा।

13. आम सभा

प्रबंध समिति द्वारा निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर वार्षिक आम सभा प्रत्येक वर्ष के अंत में होगी जिसकी पूर्व सूचना कम से कम 30 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दे दी जाएगी आम सभा के निम्नलिखित कार्य होंगे:-

1. पिछली बैठक की कार्यवाही को संपुष्ट करना।
2. वार्षिक प्रतिवेदन को स्वीकृत प्रदान करना।

3. न्यास के कार्यों की समीक्षा करना।
4. अंकेक्षित आय-व्यय लेखा पर विचार करना एवं स्वीकृति प्रदान करना।
5. अंकेक्षित की नियुक्ति करना।
6. आगामी वर्ष के लिए आय-व्यय का बजट तैयार करना एवं स्वीकृति प्रदान करना।
7. आगामी वर्ष के लिए कार्यक्रम सुनिश्चम/ निर्धारित करना।
8. पूर्व सूचना प्राप्त किसी प्रस्ताव पर संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी की अनुमति से विचार करना।

14. असाधारण बैठक

संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के द्वारा तीन दिन पूर्व की सूचना पर निम्नांकित अवस्था में असाधारण बैठक बुलाई जा सकती है।

1. आवश्यकतानुसार संस्थापक न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी की सलाह पर।
2. कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों के द्वारा बैठक की मांग किये जाने पर।
3. सभा/बैठक का कार्यप्रणाली का नियम, संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के निर्णय के अनुसार होगा, परन्तु प्रबन्ध समिति की 2/3 बहुमत की स्वीकृति आवश्यक है।
4. बैठक की सूचना निबधित डाक कोरियर या विशेष दूत द्वारा दी जायेगी।

15. मतदान

साधारणतया मतदान हाथ उठाकर खुले आम किया जायेगा। किसी विशेष परिस्थिति में गुप्त मतदान भी किया जा सकेगा। किसी असाधारण परिस्थिति में प्रबन्ध समिति की अनुमति लेकर संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी द्वारा मतदान की भी व्यवस्था हो सकती है।

Chunji Bano

16. रिक्त पदों की पूर्ति

प्रबंध समिति में कोई भी पद किसी भी कारणवश रिक्त हो जाने पर रिक्त पद शेष कार्यकाल के लिए संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी तथा प्रबंध समिति की स्वीकृति से किसी भी अन्य सदस्य का मनोनयन कर सकते हैं।

17. आय का स्रोत

न्यास के आय के निम्नलिखित स्रोत होंगे।

(क) प्रवेश शुल्क

(ख) सदस्यता शुल्क

(ग) आजीवन सदस्यता शुल्क

(घ) दान एवं चंदा

(ङ) अनुदान

(च) ऋण

(छ) उत्पादित वस्तुओं के विक्रय से/चैरिटी शो के आयोजन से/प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना से।

(ज) संबद्धता शुल्क एवं अन्य शुल्क

(झ) विघटित संस्थान, संस्था एवं न्यास के कोष की प्राप्ति से तथा जमा कोष से।

19. ट्रस्ट के अभिलेख

: ट्रस्ट के समस्त अभिलेख जैसे रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, केशबुक आदि संस्थापक ट्रस्टी के अधीन महासचिव के पास रहेंगे तथा ट्रस्ट की समस्त सम्पत्ति जैसे कुर्सी मेज अलमारी कार्यालय आदि संस्थापक के पास रहेंगे।

19. संस्था के कोष

: न्यास के कोष/रोकड़ का लेखा-जोखा और बैंक पास बुक

Chandni Datta

बही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 321

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 700 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 140 योग : 240

श्रीमती चांदनी बानो ,
पत्नी श्री ताहिर मो० उर्फ मोहम्मद ताहिर शाह (साई बाबा)
व्यवसाय : अन्य *Chandni Bano*
निवासी: भवन संख्या-21, निकट-विकल्प खण्ड, गोमती नगर, चिनहट लखनऊ



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 16/04/2021 एवं 03:18:33 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

कंचन मिश्रा -

उप निबंधक :सदर द्वितीय

लखनऊ

16/04/2021

सन्त राम यादव .

निबंधक लिपिक

प्रिंट करें

बही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 321

वर्ष: 2021

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्रीमती चांदनी बानो, पत्नी श्री ताहिर मो० उर्फ मोहम्मद ताहिर
शाह (साई बाबा)

निवासी: भवन संख्या-21, निकट-विकल्प खण्ड, गोमती नगर,
चिनहट लखनऊ

व्यवसाय: अन्य

Chandni Banoo



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री मोहम्मद आफताब, पुत्र श्री मोहम्मद नसीम

निवासी: पेठिया कन्नुपुर, अम्बेडकर नगर,

व्यवसाय: अध्ययन

Aftab Shah



पहचानकर्ता : 2

श्री मो० इजहार, पुत्र श्री मुस्लिम अली

निवासी: 21, नन्दरौली, तहसील-बीकापुर, फैजाबाद, उ०प्र०

व्यवसाय: नौकरी

Mohd Ishaar



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार
लिए गए हैं।

टिप्पणी :

cellar

कंचन मिश्रा -

उप निबंधक : सदर द्वितीय

लखनऊ

सन्त राम यादव .

निबंधक लिपिक

प्रिंट करें

उपरोक्त न्यास की घोषणा में न्यासकर्ता/संस्थापक/अध्यक्ष/ प्रबन्धक निदेशक बमुकाम शहर लखनऊ में आज दिनांक 16.04.2021 को स्वेच्छापूर्वक, बिना दवाब नाजायज के, पूरे होश-हवास में और स्थिर-चित्त अवस्था में निम्नलिखित साक्षीगण के समक्ष करते है। तथा इस न्यास विलेख को हस्ताक्षरित एवं निष्पादित करते है। जो सही है, और सनद रहे तथा वक्त जरूरत काम आए।

गवाहान:-

1.

Shahin Bano

(श्रीमती चांदनी बानो)

संस्थापक/अध्यक्ष/न्यासी प्रबन्ध निदेशक

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी

अध्यक्ष

Affeb Shah



(मोहम्मद आफताब)

पुत्र मोहम्मद नसीम,

निवासी-पेठिया, कन्पुर,

अम्बेडकर नगर, उ०प्र०-224149

आधार नं० 5260-7321-9857

मो०नं० 9651325330, व्यवसाय-छात्र

Advocate High Court
Registrar Office Lucknow

2.

Mohd Ijazhar



(मो० इजहार)

पुत्र मुस्लिम अली,

निवासी-21, नन्दरौली, तहसील-बीकापुर, फैजाबाद, उ०प्र०

आधार नं० 7846-8839-8294

मो०नं० 7054035788, व्यवसाय-नौकरी

Advocate High Court
Registrar Office Lucknow

टाईपकर्ता:

(अभय शाह)

मसविदाकर्ता:

(आफताब आलम)

एडवोकेट

सिविल कोर्ट, लखनऊ

मो०नं० 9335212419

आवेदन सं०: 202100821028845

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 555 के पृष्ठ 281 से 334 तक क्रमांक
321 पर दिनांक 16/04/2021 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

कंचन मिश्रा -

उप निबंधक : सदर द्वितीय

लखनऊ

16/04/2021

प्रिंट करें



भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक सदर द्वितीय लखनऊ क्रम 2021228016660

आवेदन संख्या : 202100821028845

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 2021-04-16 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम चांदनी वानो

लेख का प्रकार न्यास पत्र

प्रतिफल की धनराशि 10000 / 0.00

1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क 100
2. प्रतिलिपिकरण शुल्क 140
3. निरीक्षण या तलाश शुल्क
4. मुद्दतार के अधिप्रमाणी करण लिए शुल्क
5. कमीशन शुल्क
6. विविध
7. यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 240

शुल्क वसूल करने का दिनांक 2021-04-16 00:00:00

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश

प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2021-04-16 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

10 321/21